

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प रामपुर अखिरान)

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)  
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- ..... 604/2021

:-आदेश:-

दिनांक 03-12-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर अखिरान व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामपुर अखिरान पटवार मण्डल रामपुर अखिरान की जमाबन्दी सम्वत् 2015-78 के खाता संख्या 238 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रामपुर अखिरान	238	सुनील देवी पत्नी लालचन्द सुनील देवी पत्नी लालचन्द कांति आदेश 	सुनील देवी पत्नी लालचन्द सुनील देवी पत्नी लालचन्द कांति कुम्हार

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 444-45  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी सुनील देवी पत्नी लालचन्द कांति अखिरान वि. रामपुर अखिरान को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना  
दिनांक 03/12/2021

  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
राजस्थान अधिनियम  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज.)